सेठ दुर्गाप्रसाद आदि।

बनाम

एच. आर. गोम्स

9 दिसंबर 1965

(पी.बी. गजेंद्रगढ़कर, सी.जे., के.एन. वांचू, एम- हिदायतुल्ला, वी. रामास्वामी और पी. सत्यनारायण राजू, जे.जे )

भारत के रक्षा नियम, 1963--नियम 126(2)--क्या दस्तावेजों के जब्त करने की अनुमति देता है।

भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 एस. 2(34)--धारा के अर्थ में 'उचित अधिकारी' क्या इसमें सीमा शुल्क कलेक्टर-धारा 105, के तहत खोज करने की शक्ति शामिल है, क्या विशेष दस्तावेजों की खोज करने की शक्ति केवल गुप्त है, धारा 110(3) का अर्थ, दस्तावेजों की जब्ती दस्तावेजों के अंतर्गत क्या किसी व्यक्ति से कानूनी रूप से और जब्त किये जा सकते है न कि भौतिक कब्जे से।

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर के अधीक्षक द्वारा अपीलकर्ताओं के परिसर में तलाशी ली गई। नियमों के उल्लंघन में रखे गए सोने और संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने के उद्देश्य से भारत की रक्षा नियम, 1963 के नियम 126 एल (2) के तहत सीमा शुल्क और

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर के सहायक कलेक्टर द्वारा तलाशी का अधिकार दिया गया था। तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को 8 दिनों के लिए नागपुर में अधीक्षक द्वारा रखा गया था और फिर विभागीय हिंदी अधिकारी द्वारा अनुवाद के उद्देश्य से अस्थायी रूप से दिल्ली भेज दिया गया था। जब दस्तावेज दिल्ली में थे तो सीमा शुल्क कलेक्टर, नागपुर ने 6 सितंबर, 1963 को जब्ती का आदेश दिया। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110(3) का तात्पर्य अधीक्षक के कब्जे से उपरोक्त दस्तावेजों को जब्त करना है। 11 सितंबर, 1963 को, कलेक्टर ने इसी तरह का एक और आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि सहायक कलेक्टर से उक्त दस्तावेज जब्त कर लिए जाएं, जिसके बारे में उनका मानना था कि वे अधीक्षक द्वारा स्थानांतरित किए गए थे। अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के अलावा अधीक्षक द्वारा दस्तावेजों की जब्ती की वैधता और कलेक्टर द्वारा किये गये जब्ती के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।उनकी रिट याचिकाएखारिज होने के बाद उन्होंने एफ विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील की।

जो प्रश्न विचार के लिए आए वे थेः (1) क्या नियम 126 एल (2) के तहत अधिकृत अधिकारी नियम 156 के तहत अपनी अतिरिक्त शिक्तयों का प्रयोग करके दस्तावेजों को जब्त कर सकता है। (2) क्या सीमा शुल्क कलेक्टर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110(3) के तहत जब्ती का

आदेश देने का उद्देश्य से एक उचित अधिकारी था। (3) क्या आदेश धारा 110(3) के तहत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कानूनी रूप से प्रभावी था कि विचाराधीन दस्तावेज अधीक्षक या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर के भौतिक कब्जे में नहीं थे। (4) क्या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 एक सामान्य शिक्त या केवल निर्दिष्ट दस्तावेजों को जब्त करने की शिक्त थी। (5) क्या विचाराधीन दस्तावेजों को धारा 105 के अर्थ के भीतर 'गुप्त' कहा जा सकता है।

धारणः (i) नियम 156 के तहत दी गई शिक संदिग्ध सोने की प्रभावी जब्ती करने के लिए एक आकस्मिक शिक है। दूसरे शब्दों में नियम 156 के तहत दी गई शिक कार्रवाई करने की शिक है जो प्रतिबंधित सोने को जब्त करने के लिए आवश्यक हो सकती है, और इसमें शामिल दस्तावेजों को जब्त करने की शिक नहीं है जो सहायक या आकस्मिक नहीं है। यह दृष्टिकोण 24 जून 1963 को भारत की रक्षा नियमों के सातवें संशोधन से सामने आया है और जब्त दस्तावेजों को नियम 126 एल(1) और (3) के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, नियम 126 एल(2) के तहत समान शिक प्रदान किए बिना केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक उक्त नियम के तहत दिए गए प्राधिकार द्वारा दस्तावेजों को जब्त नहीं कर सका। (997 जी)

- (ii) हालाँकि अपीलकर्ता रिट के अनुदान के हकदार नहीं थे क्योंकि 11 सितंबर, 1963 को सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110(3) के तहत दस्तावेजों को जब्त करने का एक वैध आदेश था। । उक्त उपधारा के तहत अधिनियम के तहत कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों को 'उचित अधिकारी' द्वारा जब्त किया जा सकता है। (999 सी)
- (iii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क का एक कलेक्टर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(34) के अर्थ में एक 'उचित अधिकारी' है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(34), (1000 ई)
- (iv) तथ्य यह है कि 6 और 11 सितंबर 1963 को, जब दोनों ने धारा के 110(3) तहत आदेश दिया कि माल दिल्ली में था और उन अधिकारियों के भौतिक कब्जे में नहीं था जिनके कब्जे से उन्हें जब्त किया जाना था, इससे आदेशों की वैधता प्रभावित नहीं हुई। हालाँकि दस्तावेज दिल्ली भेज दिए गए थे, फिर भी उत्पाद शुल्क अधीक्षक के पास कान्नी रूप से उनका कब्जा था क्योंकि उनके पास दस्तावेजों के उपयोग को नियंत्रित करने और उन व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार था, जिन्हें दस्तावेजों तक पहुँच मिलनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कान्नी स्थित यह है कि दिल्ली में दस्तावेजों की जांच और अनुवाद के सीमित उद्देश्य के

लिए दस्तावेज जमानतदार के कब्जे में थे, लेकिन कानूनी कब्जा अभी भी अधीक्षक के पास था। (1000 एच-1001 बी)

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलेगा कि कलेक्टर अपने जब्ती आदेश दिनांक 06 सितम्बर, 1963 या 11 सितंबर, 1963 द्वारा दस्तावेजों को स्वयं हस्तांतिरत कर सकता है। कलेक्टर द्वारा किए गए जब्ती के आदेश का कानूनी प्रभाव अधीक्षक या सहायक कलेक्टर से दस्तावेजों के कानूनी कब्जे को कलेक्टर को हस्तान्तिरित करना था। इस तरह के परिवर्तन में मुख्य रूप से जरूरी नहीं कि कब्जे का भौतिक हस्तांतरण शामिल हो यदि यह उस स्तर पर संभव नहीं था, लेकिन कानून के मामले में जब्ती की तारीक्ष से लेकर कलेक्टर ने दस्तावेजों पर कब्जे की पूरी घटनाओं का प्रयोग किया। यह तथ्य कि दस्तावेज एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिल्ली में रखे गए थे, जब्ती के आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। (1001 एफ-एच)

(v) यह नहीं कहा जा सकता कि दस्तावेजों को धारा 105 के अर्थ में 'गुप्त' नहीं किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम की 105, जब तक कि उन्हें छुपाया या छुपाया न जाए, धारा के संदर्भ में शब्द का अर्थ है 'ऐसे दस्तावेज जो सामान्य या सामान्य स्थान पर नहीं रखे जाते हैं' या यह ऐसे दस्तावेज या चीजं भी हो सकते हैं जिन्हें गुप्त किए जाने की संभावना है दूसरे में ऐसे शब्द दस्तावेज या चीजें जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा बाहर

रखने की संभावना है, ऐसी जगह पर रखना जहां कानून का अधिकारी उसे न पा सके, (11005 एफ-जी)

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 सामान्य खोज की शिक्त है और इसके प्रयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकरण उन दस्तावेजों को निर्दिष्ट करे जिनके लिए खोज की जानी है। लेकिन यह आवश्यक है कि इस शिक्त का प्रयोग करने से पहले अनुभाग द्वारा अपेक्षित प्रारंभिक शर्तों को सख्ती से पूरा किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि उसकी राय में जो चीजें किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हैं, उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी दस्तावेज अधिनियम को खोजे गए स्थान पर गुप्त रखा गया है। (1006 सी-एफ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 1965 की सिविल अपील संख्या 677 से 680 तक।

विशेष नागरिक आवेदन संख्या 437,448,449 और 1963 के 490 में बाॅम्बे हाॅईकाॅर्ट(नागपुर बेंच) के 24, 25 फरवरी, 1964 के फेसले और आदेशों के खिलाफ अपील।

जी.एस. पाठक, जी.एल. सांघी, के,. श्रीनिवासमूर्ति, ओ.सी. माथुर, अपीलकर्ताओं की ओर से रविंदर नारायण और जे.बी. दादचनजी।

प्रतिवादीगण की ओर से एस.वी. गुप्ते, सॉलिसिटर-जनरल, एन.एस. ब्रिन्द्रा और बी.आर.जी.के. आचार।

रामास्वामी,जे. ये अपीलें विशेष सिविल आवेदन संख्या 437, 448, 459 (एसआईसी) और 1963 के 490 में बॉम्बे (नागपुर बेंच) के उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय दिनांक 25-2-1964 के एक प्रमाण पत्र द्वारा लाई गई हैं, जिसमें संबंधित अपीलकर्ताओं ने भारत की रक्षा (संशोधन) नियम, 1963 ( इसके बाद इसे सोना नियंत्रण नियम कहा जाएगा) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 105 और 110 (इसके बाद इसे सीमा शुल्क अधिनियम कहा जाएगा)।

सिविल अपील सं. 1965 का 678:

(2) यह अपील 1963 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 490 से उत्पन्न हुई है जो 19-8-1963 और 20-8-1963 को श्री दुर्गा प्रसाद के परिसर की तलाशी और जब्ती से संबंधित है। अपीलकर्ता के परिसर श्रीराम भवन की तलाशी प्रथम प्रतिवादी-सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर के सहायक कलेक्टर द्वारा दूसरे प्रतिवादी-सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिक्षक को 19-8-1963 को प्राधिकरण प्रदान किया गया था और सभी सोने, सोने के आभूषणों आदि को अपने कब्जे में लिये। जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें सोना नियंत्रण नियमों के उल्लंघन में रखा गया था और साथ ही खाता पुस्तकों और दस्तावेजों को भी। यह प्राधिकरण

भारत की रक्षा (संशोधन) नियम 1963 के आर. 126 एल (2) के तहत प्रदान किया गया था और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता ळेः

"को

श्री एस. एच. जोशी,

सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, नागपुर जबिक जानकारी मेरे सामने रखी गई है और उसके बाद उचित पूछताछ के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि नीचे निर्दिष्ट परिसर/तिजोरी/लॉकर और कहा जाता है कि यह श्री आर.बी. श्रीराम दुर्गा प्रसाद के कब्जे और नियंत्रण में है और इनका उपयोग स्वर्ण नियंत्रण नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में सोने/सोने के आभूषणों के भंडारण के लिए किया जाता है।

तलाशी जाने वाले परिसरों/तिजोरियों/लॉकरों का विवरण। श्री राम भवन और परिसर, कार्यालय, आउट-हाउस आदि सहित उनका सामान। रामदासपेठ, नागपुर।

यह आपको आवश्यक सहायता के साथ उक्त परिसर में प्रवेश करने और यदि आवश्यक हो, तो उस उद्देश्य के लिए उचित बल का उपयोग करने और उक्त परिसर के हर हिस्से की तलाशी लेने और सभी सोन/सोने को जब्त करने और

अपने कब्जे में लेने के लिए अधिकृत और अपेक्षित है। पात्र, कंटेनर या उसके आवरण सिहत आभूषण, जिनके बारे में आप यथोचित रूप से विश्वास कर सकते हैं कि उन्हें स्वर्ण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन में रखा गया है और साथ ही ऐसे खातों की पुस्तकों, रिटर्न या किसी अन्य दस्तावेज के लिए, जैसा कि आप यथोचित रूप से विश्वास कर सकते हैं कि वे स्वर्ण नियंत्रण नियमों के किसी भी उल्लंघन से जुडे हुए हैं, और की गई जब्ती के संबंध में इस कार्यालय को तुरंत रिपोर्ट करें, इस आदेश को एक समर्थन के साथ लौटाएं, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि आपने इसके निष्पादन के तुरंत बाद इसके तहत क्या किया था।

आज उन्नीस अगस्त 1963 को मेरे हस्ताक्षर और इस कार्यालय की मुहर से दिया गया।

कार्यालय की मुहर। एसडी. कृष्ण देव,

19-08-63,

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद षुल्क के सहायक कलेक्टर" दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के बाद, प्रतिवादी नंबर 2 ने उन दस्तावेजों को लगभग 8 दिनों तक नागपुर में रखा। इसके बाद विभागीय हिंदी अधिकारी द्वारा उचित अनुवाद के लिए दस्तावेजों को अस्थायी रूप से दिल्ली भेजा गया। जबिक दस्तावेज दिल्ली में थे, तीसरा प्रतिवादी अर्थात् सीमा शुल्क कलेक्टर, नागपुर ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 (3) के तहत जब्ती का आदेश दिया। दिनांक 6-9-1963 के जब्ती आदेश में कहा गया है:

"जबिक जानकारी प्राप्त हुई है कि निम्नितिखित दस्तावेज श्री एसएच जोशी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, नागपुर की हिरासत में हैं।

- 1. नागपुर की जूनी रोकड़ बही हिसाब बही श्री नागपुर की 24-7-1958 से 28-10-1959 (हिन्दी में) पृष्ठ 1 से 96;
  - 2. श्री रोकड बही नागपुर (हिन्दी में) पृष्ठ 1 से 27;
- 3. रोकड.-भूरामलजी अग्रवाल (हिन्दी में) पृष्ठ 1 से 78;
- 4. श्री खाता बही भाई भूरामलजी अग्रवाल संवत 2000-2001, 2005-2006 (हिन्दी में) पृष्ठ 1 से 53;
- 5. पार्टनर्स श्री एक्स इ् ग्रुप हिसाब बही-3-5-1959 तक (हिन्द में) पृष्ठ 1 से 45;

- श्री खाता बही-भ. भूरामलजी अग्रवाल-संवत् 2006 ते 2012 (हिन्दी में) पृष्ठ 1 से 57;
- 7. हिसाब (बही)-पार्टनर्स-जी एक्सएफ ग्रुप 3-5-1959 तक (हिन्दी में) पृष्ठ 1 से 20;
  - 8. ओम-पी. अंकदा बही (हिन्दी में) पृष्ठ 1 से 25;
- 9. अंकडा (बही) बॉम्बे नागपुर (हिन्दी में) पृष्ठ 1 से 10;
- 10. श्री जयपुर की हिसाब बही (हिन्दी में) पृष्ठ 1 से101; (खुले कागजात) और 1 से 39 (नियमित पेज);
- 11. सी.एन.ए. 1956-58 (अंग्रेजी में बहीखाता) पेज 1 से 101;
- 12. ऊपर नंबर 11 के समान अकाउंट बुक (अंग्रेजी में) पिछला कार्ड-बोर्ड कवर गायब पृष्ठ 1 से 129;
- 13. जून शान जखीरामजी भगवानदासजी पृष्ठ 1 से 2 खुले पृष्ठ 1 से 71 नियमित पृष्ठ 3-11-56 से 2-05-1959;- कुल तेरह अभ्यास पुस्तिका प्रकार खाता बही;
- 14. खुले पेपरों के आठ बंडल को एक साथ सिला गया है, जिसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पेपर है;

गुच्छा नंबर 1 जिसमें पेपर हैं 5; गुच्छा नंबर 2 जिसमें पेपर हैं 6; गुच्छा नंबर 3 जिसमें पेपर हैं 4; गुच्छा नंबर 4 जिसमें पेपर हैं; गुच्छा नंबर 5 जिसमें पेपर हैं शीट 4; गुच्छा संख्या 6 जिसमें पेपर 2 हैं; गुच्छा संख्या 7 जिसमें पेपर 2 हैं; गुच्छा संख्या 7 जिसमें पेपर 2 हैं; गुच्छा संख्या 7 जिसमें पेपर 2 हैं; गुच्छा संख्या 8 जिसमें पेपर 3; हैं।

15. श्री राम भवन, नागपुर से ढीले कागजात 25 शीट (छोटी चिटों सहित) बरामद की गईं और जबकि मेरी राय है कि उक्त दस्तावेज सीमा शूल्क अधिनियम 1962 (1962 का अधिनियम 52) के तहत कार्यवाही के लिए उपयोगी और प्रासंगिक हैं। मैं, श्री तिलक राज , केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर 214, दिनांक 1-02-1963 के तहत सीमा शुल्क कलेक्टर के रूप में सशक्त किया गया है, इस संबंध में उक्त शक्तियों का प्रयोग करते ह्ए आदेश दिया गया है कि उपरोक्त दस्तावेजों को जब्त कर लिया जाएगा। . प्रतिवादी संख्या 3 ने उन्हीं दस्तावेजों के संबंध में जब्ती का दूसरा आदेश दिनांक 11-09-1963 को दिया"। प्रतिवादी संख्या 3 ने स्पष्ट किया है कि उसे जब्ती का दूसरा आदेश दिनांक 11-09-1963 को करना पड़ा क्योंकि वह पहले तो उसे लगा कि दस्तावेज प्रतिवादी नंबर 2 की हिरासत में हैं, लेकिन बाद में उसे पता चला कि प्रतिवादी नंबर 2 ने पहले ही दस्तावेजों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर श्री कृष्ण देव की हिरासत में दे दिया था।

अपीलकर्ताओं की ओर से श्री पाठक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि तलाशी और जब्ती का आदेश, दिनांक 19-08-1963 अवैध था क्योंकि उत्पाद शुल्क अधिकारियों के पास भारत की रण के नियम 126 एल (2) के तहत दस्तावेजों को जब्त करने की कोई शक्ति नहीं थी। (संशोधन) नियम, 1963 जिसमें कहा गया है;

	"126 एल.	प्रवश,	तलाशा,	जब्ता,	जानकारा	प्राप्त	करन
और	नमूने लेने	की शा	क्ते,				

(1)		 									 	 
• • • • •	• • • • •	 • • • • •	••••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	••••	••••	• • • • •	••••	 	 

- (2) केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति इस संबंध में लिखित रूप से -
- (ए) किसी भी परिसर में प्रवेश और तलाशी ले सकता है, जो उप-नियम (1) में संदर्भित रिफाइनरी या प्रतिष्ठान

नहीं है, तिजोरी, लॉकर या कोई अन्य स्थान चाहे वह जमीन के ऊपर या नीचे हो;

(बी) किसी भी सोना को जब्त कर सकता है जिसके संबंध में उसे संदेह है कि इस भाग के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या होने वाला है, साथ ही पैकेज, कवर या पात्र, यदि कोई हो, जिसमें ऐसा सोना पाया जाता है और उसके बाद उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया गया है कि नियम केवल किसी भी सोने को जब्त करने का अधिकार देता है जिसके संबंध में पैकेज, कवर या पात्र के साथ सोने के नियंत्रण नियमों के उल्लंघन का संदेह है, लेकिन नियम में किसी दस्तावेज़ की तलाशी या जब्ती का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तरदाताओं की ओर से सॉलिसिटर-जनरल ने आर. 156 के प्रावधानों पर भरोसा किया जो निम्नलिखित प्रभाव वाला है;

- "156. नियमों, आदेशों आदि को प्रभावी करने की शक्तियाँ-
- (1) कोई प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति जो भारत रक्षा अध्यादेश, 1962, या इनमें से किसी भी नियम द्वारा या

उसके अनुसरण में कोई अन्य बनाने, या किसी अन्य शिक्त का प्रयोग करने के लिए सशक्त, इन नियमों द्वारा या इसके तहत निर्धारित किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा, ले सकता है, या करने का कारण बन सकता है। ऐसे कदम उठाए जाएं और ऐसे बल का प्रयोग किया जाए या प्रयोग करवाया जाए जो ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति की राय में, ऐसे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने, या उसके किसी भी उल्लंघन को रोकने या सुधारने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो, या ऐसी शिक्त के प्रभावी प्रयोग के लिए।

(2) जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान के संबंध में उप-नियम (1) के तहत कार्रवाई करने के लिए कोई प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति सशक्त नहीं है, वहां केंद्र या राज्य सरकार ऐसे कदम उठा सकता है, या उठाने का कारण बन सकता है, और ऐसे बल का उपयोग कर सकता है, या उपयोग करवा सकता है, जो उस सरकार की राय में ऐसे प्रावधान के अनुपालन को सुनिश्चित करने, या किसी भी उल्लंघन को रोकने या सुधारने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

(3) संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उप-नियम के तहत कदम उठाने की शक्ति है। (1) या उप-आर के तहत। (2) इसमें किसी भी भूमि या अन्य संपत्ति पर प्रवेश करने की शक्ति शामिल है।"

यह प्रस्तुत किया गया था कि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक केंद्र सरकार द्वारा आर. 126 एल (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त अधिकारी थे और नियम. 156 के तहत अधीक्षक के पास लेने या लेने का कारण बनने की अतिरिक्त शक्ति थी। ऐसे कदम जो ऐसी शक्ति के प्रभावी प्रयोग के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकते हैं। इस तर्क पर जोर दिया गया कि नियम के तहत। 156 अधीक्षक के पास यह जांच करने के उद्देश्य से दस्तावेजों को जब्त करने की शक्ति थी कि क्या जब्त किया गया सोना वह सोना था जिसके संबंध में भाग 12 ए के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया था। हमें नहीं लगता कि इस तर्क का कोई औचित्य है. नियम. 156 के तहत सशक्त प्राधिकारी को दी गई शक्ति संदिग्ध सोने की प्रभावी जब्ती करने के लिए एक सहायक या आकस्मिक शक्ति है। दूसरे शब्दों में, आर. 156 के तहत दी गई शक्ति ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति है जो सोने को जब्त करने के लिए आवश्यक हो सकती है और इसमें दस्तावेजों को जब्त करने की शक्ति शामिल नहीं है जो एक सहायक नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया

है वह 24-06-1963 को किए गए भारत की रक्षा नियमों के सातवें संशोधन से सामने आया है। संशोधन से पहले, नियम. 126 एल इस प्रकार पढा जाता है;

"126 एल प्रवेश, तलाशी, जब्ती, जानकारी प्राप्त करने और नमूने लेने की शक्ति, -

- (1) इस संबंध में लिखित रूप मे बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति -
- (ए) प्रवेश कर सकता है और किसी भी रिफाइनरी की तलाशी लें जिसके रिफाइनर, या किसी डीलर की स्थापना जो इस भाग के तहत लाइसेंस प्राप्त है;
- (बी) किसी भी सोने को जब्त कर लेगा जिसके संबंध में उसे संदेह है कि इस भाग के किसी प्रावधान में उल्लघंन किया गया है, या किया जा रहा है, या है पैकेज, आवरण या पात्र, यदि कोई हो, के साथ, जिसमें ऐसा सोना पाया गया है और उसके बाद उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
- (2) इस संबंध में लिखित रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति -

- (ए) किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश और तलाशी लेगा, जो उप-नियम (1) में उल्लिखित रिफाइनरी या प्रतिष्ठान नहीं है, तिजोरी, लॉकर या कोई अन्य स्थान, चाहे वह जमीन के ऊपर या नीचे हो;
- (बी) के संबंध में कोई भी सोना जब्त करना जिस पर उसे संदेह हो कि पैकेज, आवरण या पात्र, यदि कोई हो, सिहत इस भाग के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, और उसके बाद उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। हिरासत

••••	••••				•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
					• • • • • •				₹	नातवे
संशोधन	के	बाद	उप-वि	नेयम	(1)	में	सीएल	(बी)	के	बाद
तिस्त् <u>त</u> ि	ਹਿਰਟ	ा ग्रांट	टात्रा	गाराह	9π∙					

(सी) किसी भी सोने से संबंधित खाते की कोई भी किताब, रिटर्न या कोई अन्य दस्तावेज जब्त कर सकता है जिसके संबंध में उसे संदेह है कि इस भाग के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या होने वाला है और उसके बाद उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।"

उसी संशोधन द्वारा उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा गयाः

- "(3) इस संबंध में बोर्ड द्वारा लिखित रूप से अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकता है यदि उस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने इस व्यक्ति के बारे में रहस्य छिपाया है-
- (ए) कोई भी सोना जिसके संबंध में ऐसे अधिकारी को संदेह है कि इस भाग में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या होने वाला है,
  - (बी) ऐसे सोने से संबंधित कोई भी दस्तावेज"

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम. 126 एल (2) को सातवें संशोधन द्वारा संशोधित नहीं किया गया है और इस उप-नियम में किसी भी दस्तावेज़ की इस तरह की जब्ती के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, हमारी राय है कि प्रतिवादी 1 के पास भारत के रक्षा नियमों की धारा 126 एल(2) के तहत प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश देने का और अपीलकर्ता के परिसर में दस्तावेजों को जब्त करने और कब्जे में लेने का अधिकार नहीं था।

हालाँकि, अपीलकर्ता रिट जारी करने की राहत के हकदार नहीं होंगे क्योंकि हमारी राय है कि सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा 11-09-1963 को समान दस्तावेजों को जब्त करने का एक वैध आदेश है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110(3) के तहत सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 में कहा गया है;

"110. (1) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी सामान इस अधिनियम के तहत जब्त किया जा सकता है, तो वह ऐसे सामान को जब्त कर सकता है;

बशर्ते कि जहां किसी भी सामान को जब्त करना संभव न हो ऐसे माल के लिए, उचित अधिकारी माल के मालिक को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना माल को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा, या अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा।

(2) जहां किसी भी माल को उप नियम के तहत जब्त किया जाता है - और उसके संबंध में एस. 124 के भाग. (ए) के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया है, माल की जब्ती के छह महीने के भीतर, सामान उस व्यक्ति को वापस

कर दिया जाएगा जिसके कब्जे से उन्हें जब्त किया गया था।

बशर्ते छह महीने की उपरोक्त अवधि, पर्याप्त कारण बताए जाने पर, सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बढाई जा सकती है।

- (3) उचित अधिकारी किसी भी दस्तावेज या चीजों को जब्त कर सकता है, जो उसकी राय में, इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक।
- (4) वह व्यक्ति जिसकी हिरासत से उप-धाराओं के तहत कोई दस्तावेज जब्त किया गया है। (3) सीमा शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में उसकी प्रतियां बनाने या उसमें से उद्धरण लेने का हकदार होगा।"

मामले के इस पहलू पर, सबसे पहले, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि सीमा शुल्क कलेक्टर अधिनियम के अर्थ में एक "उचित अधिकारी" नहीं था और इसलिए उसके पास अधीक्षक के कब्जे से दस्तावेजों को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं था। सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (34) का संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया है:

"2. (34) इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में 'उचित अधिकारी', का मतलब सीमा शुल्क अधिकारी है जिसे बोर्ड द्वारा उन कार्यों को सौंपा गया है या सीमा शुल्क कलेक्टरः"

उत्तरदाताओं की ओर से सॉलिसिटर-जनरल ने सीमा अधिनियम की धारा 5 (2) पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि सीमा शुल्क का एक अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अन्य सीमा शुल्क अधिकारी को इस अधिनियम के तहत प्रदत्त या लगाए गए एवं अधिकारी का प्रयोग एवं कर्तर्यों का निर्वहन कर सकता है। हालाँकि, श्री पाठक ने कहा कि धारा 5 (2) का इस मामले में कोई उपयोग नहीं है क्योंकि एक ओर 'कार्यो' और दूसरी ओर धारा 5 (2) में उल्लिखित शक्तियों और कर्तद्रयों बीच अंतर है। दूसरे पर सीमा शुल्क अधिनियम. हमें नहीं लगता कि इस बिंदू पर जाना आवश्यक है क्योंकि हमारा विचार है कि, किसी भी स्थिति में, सीमा श्ल्क कलेक्टर अधिनियम द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में एक ष्उचित अधिकारीष् होगा, क्योंकि जैसा कि सिद्धांत की बात यह है कि सीमा शुल्क कलेक्टर, जिसने अधीनस्थ अधिकारी को उचित अधिकारीकी शक्तियां सौंपी थीं, को स्वयं सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 (3) के तहत उचित अधिकारी की शक्तियां प्राप्त मानी जानी चाहिए। हम तदनुसार इस बिंदु पर श्री पाठक के तर्क को अस्वीकार करते हैं।

अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि दोनों तारीखों - 6-09-1963 और सितंबर 11-09-1963- को दस्तावेज प्रतिवादी नंबर 2 के भौतिक कब्जे में नहीं थे और दस्तावेजों की वैध जब्ती नहीं हो सकी। जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 (3) द्वारा विचार किया गया है। यह स्वीकृत स्थिति है कि जब 6-09-1963 और 11-09-1963 को सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा जब्ती आदेश पारित किए गए थे तो दस्तावेज नागपुर में या प्रतिवादी संख्या 3 के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। लेकिन अपीलकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं करें कि जब्ती की शक्ति में हर मामले में, उस व्यक्ति के भौतिक कब्जे का कार्य अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए जिसके पास वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार था। यह सच है कि दस्तावेज प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा सीमित उद्देश्य और सीमित अविध के लिए दिल्ली भेजे गए थे। लेकिन हालाँकि दस्तावेज दिल्ली भेज दिए गए थे, फिर भी प्रतिवादी नंबर 2 के पास दस्तावेज कानूनी रूप से कब्जे में थे, क्योंकि उसके पास दस्तावेजों के उपयोग को नियंत्रित करने और उन व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार था, जिनकी दस्तावेजों तक पहँच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कानूनी स्थिति यह है कि दिल्ली में दस्तावेजों की जांच और अनुवाद के सीमित उद्देश्य के लिए दस्तावेज जमानतदार के कब्जे में थे, लेकिन कानूनी कब्जा अभी भी प्रतिवादी नंबर 2 के पास था। इस बिंद् पर कानून मेलिश द्वारा सही ढंग से कहा गया है, एंकोना बनाम रोजर्स में एलजे.

"..... इस प्रकार है इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक जमानतदार. जिसने जमानतदार के खाते में उन्हें रखने के लिए एक जमानतदार को सामान दिया है, वह अभी भी सामान को अपने कब्जे में मान सकता है, और हस्तक्षेप करने वाले गलत काम करने वाले के खिलाफ अतिचार बनाए रख सकता है उनके साथ। हालाँकि, यह तर्क दिया गया था कि यह माल का केवल कानूनी या रचनात्मक कब्जा था. और बिल ऑफ सेल एक्ट में. कब्जा शब्द का इस्तेमाल एक लोकप्रिय अर्थ में किया गया था, और इसका मतलब वास्तविक या स्वतः कब्जा था। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं. हमें ऐसा लगता है कि जो सामान जमानतदार के पास रखने के लिए दिया गया है, जैसे कि उसके बैंकर को दी गई एक सज्जन की प्लेट, या पेंटेक्निकॉन में भंडारित उसका फर्नीचर, एक लोकप्रिय अर्थ के साथ-साथ कानूनी अर्थ में भी होगा। कहा जा सकता है कि यह अभी भी उसके कब्जे में है।"

इस मार्ग को संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम डॉलफस मिग एट कॉम्पैग्नी एसए, 1952-1 ऑल ईआर 572 में लॉर्ड पोर्टर द्वारा अनुमोदित किया गया था, और यह उस मामले में आयोजित किया गया था कि जहां एक जमानतदार किसी भी क्षण जमानत की गई वस्तु की वापसी की मांग करता है, उसके पास अभी भी कानूनी कब्जा है।

इसलिए, इस मामले में, यह निष्कर्ष निकलता है कि कलेक्टर, अपने जब्ती आदेश, दिनांक 6-09-1963 या सितंबर 11-09-1963 द्वारा, दस्तावेजों का कानूनी कब्जा खुद को हस्तांतरित कर सकता है। कलेक्टर द्वारा किए गए जब्ती के आदेश का कानूनी प्रभाव प्रतिवादी नंबर 2 या प्रतिवादी नंबर 1 से दस्तावेजों के कानूनी कब्जे को कलेक्टर को हस्तांतरित करना था। कब्जे के इस तरह के बदलाव में जरूरी नहीं कि कब्जे का भौतिक हस्तांतरण शामिल हो, अगर यह उस स्तर पर संभव नहीं था, लेकिन कानून के एक मामले के रूप में जब्ती की तारीख से कलेक्टर ने दस्तावेजों पर कब्जे की पूरी घटनाओं का प्रयोग किया। तथ्य यह है कि दस्तावेजों को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिल्ली में रखा गया था, जब्ती के आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा और कानून में, इन दस्तावेजों के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 और 2 से प्रतिवादी नंबर 3 को कब्जे का हस्तांतरण किया गया था।

अपीलकर्ताओं की ओर से श्री पाठक ने ज्ञान चंद बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। उस मामले में, इस सवाल पर बहस हुई कि क्या समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 178 ए के तहत अनुमान उस वस्तु के संबंध में उठेगा जिसे मूल रूप से पुलिस ने जब्त कर लिया था और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया था और वास्तव में उसके पास था उनमें से एक को जब जब्त किया गया था। इस संदर्भ में इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पेज 373 पर टिप्पणी की।

"कानून के अधिकार के तहत जब्ती में कब्जे से वंचित करना शामिल है, न कि केवल हिरासत से और इसलिए जब पुलिस अधिकारी ने सामान जब्त कर लिया, तो आरोपी ने कब्जा खो दिया जो पुलिस में निहित था। जब वह धारा 180 में निहित प्रावधानों के आधार पर कब्जा सीमा शुल्क अधिकारियों को हस्तांतरित किया जाता है, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कोई नई जब्ती नहीं होती है। इसलिए, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए, जिनमें सोना आया था, इसका पालन किया जाएगा सीमा शुल्क अधिकारियों के कब्जे में, धारा 178 ए की शर्तें, जिसके लिए अधिनियम के तहत जब्ती की आवश्यकता होती है, संतुष्ट नहीं थीं और परिणामस्वरूप उस प्रावधान का लाभ यह साबित करने के लिए नहीं उठाया जा सकता कि सोने की तस्करी नहीं की गई थी, आरोपी पर।"

अनुपात उस मामले में अपीलकर्ताओं के लिए कोई सहायता नहीं है, क्योंकि उस मामले में मुद्दा समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 178 ए के तहत सबूत के भार के संबंध में था और क्या उस धारा के तहत अन्मान मामले को विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होगा। श्री पाठक ने विंटर बनाम हिंद (1882) 10 क्यूबीडी 63 में क्वींस बेंच के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें प्रतिवादी, एक कसाई, एक गाय के हिस्से को बिक्री के लिए लाया था जो बीमारी से मर गई थी, और एक ग्राहक को उसका मांस बेच दिया था, जो इसे भोजन के लिए घर ले गया था, और कुछ दिनों बाद अपीलकर्ता, एक उपद्रव निरीक्षक ने इसे उसे सौंपने का अनुरोध किया था, और एक न्यायाधीश ने इसे मनुष्य के भोजन के लिए अनुपयुक्त बताकर इसकी निंदा की थी। इन परिस्थितियों में क्वींस बेंच द्वारा यह माना गया कि मांस को 'इतना जब्त' नहीं किया गया था और इसकी निंदा नहीं की गई थी जैसा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1875 की धारा 116, 117 द्वारा निर्धारित है, और इसलिए, प्रतिवादी व्यक्ति के रूप में उत्तरदायी नहीं था। धारा 117 के तहत दंड के लिए 'बिक्री के लिए एक्सपोजर के समय यह किसका था'। इस मामले का निर्णय अपीलकर्ताओं के लिए कोई मदद नहीं है क्योंकि वास्तविक निर्णय धारा 116 और 117 की। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1875 की भाषा पर आधारित और प्रतिवादी को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया क्योंकि वह वह व्यक्ति नहीं था जिसका मांस ष्विकी के लिए रखे जाने के समयथा।"

तब अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि जब्त किए गए दस्तावेज सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए प्रासंगिक या उपयोगी थे और ऐसी सामग्री के अभाव में दस्तावेजों की जब्ती को अवैध माना जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि इस तर्क का कोई औचित्य है। कलेक्टर के आदेश, दिनांक 6-09-1963 और सितंबर 11-09-1963, दोनों में कहा गया है कि कलेक्टर की राय थी कि 'दस्तावेज सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्यवाही के लिए उपयोगी और प्रासंगिक थे।' प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने रिटर्न के पैरा 3 में यह भी कहा है कि एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त हुई थी कि अपीलकर्ता के पास काफी मात्रा में जमा किया हुआ सोना था, जिसे उसके द्वारा भारत की रक्षा के नियम संशोधन नियम 1963 126-1 के तहत घोषित नहीं किया गया थाऔर इस उद्देश्य के लिए सोने और सोने के आभूषणों की खोज के लिए छापा मारा गया था। प्रतिवादी नंबर 2 ने आगे इस प्रकार कहा है:

"इस खोज के दौरान, मुझे कुछ दस्तावेज और रिकॉर्ड भी मिले, जिनसे संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता ने काफी मात्रा में सोना हासिल किया था, जो याचिकाकर्ता द्वारा घोषित सोने की मात्रा से कहीं अधिक था और उनके परिवार के सदस्यों ने भारतीय रक्षा (संशोधन) नियम, 1963 के नियम 126-1 के तहत प्रस्तुत घोषणा में इसके अलावाय मुझे ऐसे दस्तावेज भी मिले जो दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता ने सीमा शुल्क विनियमों का उल्लंघन करने वाले लेनदेन का सहारा लिया था और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत विनियम समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 औरध्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत दंडनीय हैं। जो दस्तावेज, नोटबुक और फाइलें मुझे मिलीं, उनसे यह भी संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता ने खनिज अयस्कों के निर्यात के लिए कम चालान का सहारा लिया था। लाखों रुपये की सीमा तक, लाखों रुपये के सोने की बड़े पैमाने पर खरीद, पार्टियों को लाखों डॉलर (यूएस) वाली विदेशी मुद्रा की अनधिकृत बिक्री, जिनमें से कुछ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तस्करी गतिविधिया में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं।

हम तदनुसार मानते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 (3) के तहत सीमा शुल्क कलेक्टर की जानकारी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि दस्तावेज अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होंगे। श्री पाठक के तर्क मामले के इस पहलू को खारिज किया जाना चाहिए। व्यक्त किए गए कारणों से, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय यह कहने में सही था कि अपीलकर्ता ने रिट देने का कोई मामला नहीं बनाया था। तदनुसार, यह अपील विफल हो जाती है और इसे जुर्माने सहित खारिज कर दिया जाना चाहिए।

1685 की सिविल अपील सं. 677

यह अपील सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर द्वारा दिनांक 24-09-1963 को जारी प्राधिकरण के आधार पर तुमसर और नागपुर में अपीलकर्ता-दुर्गा प्रसाद के परिसर की तलाशी से संबंधित विशेष नागरिक आवेदन संख्या 437/1963 से उत्पन्न हुई है।रायपुर, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 के तहत नागपुर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक को, जो इस प्रकार है:

"श्री एचआर गोम्स,

अधीक्षक (पूर्व) एच. क्यूआरएस,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर

जबिक जानकारी पहले दी जा चुकी है मुझे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 111 के साथ पिठत धारा 11 के तहत अपराध के संदिग्ध कमीशन के बारे में पता चला है और यह प्रदर्शित किया गया है कि तस्करी के सामान और उससे संबंधित दस्तावेजों का उत्पादन पूछताछ के लिए आवश्यक है। संदिग्ध अपराध में किया जाना है।

यह आपको श्री दुर्गाप्रसाद सराफ तुमसर से संबंधित दुकान/कार्यालय/गोदाम/आवासीय परिसर/संवहन/पैकेज में उक्त वस्तुओं और दस्तावेजों की खोज करने के लिए अधिकृत और आवश्यक है और यदि पाया गया, इसे तुरंत अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें, जो इस प्राधिकार पत्र को एक समर्थन के साथ लौटाए कि आपने इसके निष्पादन के तुरंत बाद इसके तहत क्या किया है।

मेरे हस्ताक्षर और इस कार्यालय की मुहर से आज 24 सितंबर 1963 को दी गई।

एकीकृत संभागीय कार्यालय,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क,

रायपुर की मुहर।

(एसडी.)

(आर.एन सेन) सहायक कलेक्टर,

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्कः आईडीओ रायपुररू एमपी।" अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकरण कानूनी रूप से वैध नहीं है क्योंकि सहायक कलेक्टर द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है कि दस्तावेज 'गुप्त' थे। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 में कहा गया है:

"105. (1) यदि सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर, या भूमि सीमा या भारत के तट से सटे किसी भी क्षेत्र में सीमा शुल्क के एक अधिकारी को बोर्ड द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार दिया गया है, यह विश्वास करने का कारण है कि जब्त किए जाने योग्य कोई भी सामान, या कोई दस्तावेज या चीजें जो उसकी राय में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होंगी, किसी भी स्थान पर गुप्त हैं, वह सीमा शुल्क के किसी भी अधिकारी को खोज करने के लिए अधिकृत कर सकता है ऐसे सामान, दस्तावेज या चीजों की खोज स्वयं कर सकता है

(2) खोजों से संबंधित, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 के प्रावधान जहां तक संभव हो, उप-धाराओं में संशोधन के अधीन इस धारा के तहत खोजों पर लागू होंगे। उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा 5 का प्रभाव इस प्रकार होगा जैसे कि "मजिस्ट्रेट" शब्द के लिए, जहां भी यह आता है, "सीमा शुल्क कलेक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।

अपीलकर्ता के अनुसार धारा 105 के तहत जब्ती की शक्ति सीमा शूल्क अधिनियम का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि सहायक कलेक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि दस्तावेज "गूप्त" थे। यह तर्क दिया गया कि ''ग्रा" शब्द का प्रयोग धारा 105 में छुपाए जाने या छिपाए जाने के अर्थ में किया गया है और जब तक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण नहीं है कि कोई दस्तावेज इतना छिपा हुआ या छिपा हुआ है, ऐसे दस्तावेज की खोज नहीं की जा सकती है . हम अपीलकर्ता की दलील को सही मानने में असमर्थ हैं। हमारी राय में, ''गूप्त''शब्द को उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें अन्भाग में शब्द का उपयोग किया गया है। उस संदर्भ में, इसका मतलब ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें छ्पाने की दृष्टि से सामान्य या सामान्य स्थान पर नहीं रखा जाता है, या इसका मतलब दस्तावेज, या ऐसी चीजें भी हो सकता है जिन्हें ''गुप्त'' किए जाने की संभावना है। दुसरे शब्दों में, दस्तावेज या चीजें जो एक व्यक्ति द्वारा रास्ते से हटा दिए जाने या ऐसे स्थान पर रखे जाने की संभावना है जहां कानून का अधिकारी उसे न पा सके। इसी अर्थ में गुप्त शब्द को समझा जाना चाहिए जैसा कि हमने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 में उपयोग किया है। इस संबंध में सॉलिसिटर-जनरल द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के दिनांक 28-10-1963 के हलफनामे का संदर्भ दिया गया था, पैरा 6 में कहा गया है कि "कुछ दस्तावेज याचिकाकर्ता के रहने वाले अपार्टमेंट और तिजोरी से और यहां से भी बरामद किए गए थे।ष् उनके बेटों द्वारा उपयोग की जाने वाली मेजों और अलमारियों की दराजों और उन दस्तावेजों की खोज की गई जो परिसर में गुप्त हो सकते थे।"

अपीलकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 के तहत खोज की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्राधिकरण एक दस्तावेज निर्दिष्ट नहीं करता जिसके लिए खोज की जानी है। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 के तहत तलाशी की शक्ति सामान्य प्रकृति की नहीं है। हम इस तर्क को सही नहीं मानते. धारा 105 के तहत शिक्त प्रदान करने का उद्देश्य किसी विशेष दस्तावेज़ की खोज करना नहीं है, बल्कि उन दस्तावेज़ों या चीज़ों की खोज करना है जो सीमा शुल्क

अधिनियम के तहत लंबित या विचाराधीन कार्यवाही के लिए उपयोगी या आवश्यक हो सकते हैं। उस स्तर पर अधिकारी के लिए यह अनुमान लगाना या पहले से जानना भी संभव नहीं है कि तलाशी में कौन से दस्तावेज़ मिल सकते हैं और उनमें से कौन सा कार्यवाही के लिए उपयोगी या आवश्यक हो सकता है। खोज करने और उसमें पाए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही उनकी प्रासंगिकता या उपयोगिता निर्धारित की जा सकती है। इसलिए, दस्तावेजों के पहले से विनिर्देश या विवरण की आवश्यकता उस उद्देश्य को गलत तरीके से समझना है जिसके लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 के तहत खोज करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए, हमारी राय है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 के तहत दी गई तलाशी की शक्ति सामान्य तलाशी की शक्ति है। लेकिन यह आवश्यक है कि इस शक्ति का प्रयोग करने से पहले, अनुभाग द्वारा अपेक्षित प्रारंभिक शर्तों को सख्ती से पूरा किया जाना चाहिए, यानी, संबंधित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि कोई भी दस्तावेज या चीजें, जो उनकी राय में अधिनियम किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हैं, खोजे गए स्थान पर गुप्त हैं। हम पहले ही यह मानने के कारणों का उल्लेख कर चुके हैं कि वर्तमान मामले में यह शर्त पूरी हो गई है।

व्यक्त किए गए कारणों से, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता ने रिट देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है और इस अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी इन्दु चैधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।